[लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2017 को पारित रूप में]

<u>2017 का विधेयक संख्यांक 155-सी</u>

[दि इंटीग्रेटिड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) विधेयक, 2017

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार
का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का विस्तार और संशोधन ।

2017 का 13

2. (1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और जारी आदेशों को, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया जाता है और वे उसमें प्रवृत्त होंगे ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2017 का अध्यादेश सं0 4

3. (1) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

GMGIPMRND—1683LS(CRC)—02-08-2017.